न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या– 694/2022

अनवान : –

1. संजय पुत्र रोहिताश जाति जाट निवासी 9 केएनएन तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. मंजू सहारण पुत्री रोहिताश जाति जाट निवासी 9 केएनएन तहसील नोहर।
2. अंजु पुत्री रोहिताश जाति जाट निवासी 9 केएनएन तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–प्रतिवादीगण दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 12/4/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 7/7 की कुल 3.0860 हैक्ट भूमि में से 1289/7715 हिस्सा व खाता स0 82/77 की कुल 8.34920 हैक्ट भूमि मे से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दु परिवार की आय से अर्जित पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। पूर्व में उक्त वाद भूमि वादी के पिता रोहिताश पुत्र सुखराम के नाम दर्ज थी वादी के पिता ने उपरोक्त वाद भूमि अपनी पुत्री प्रतिवादीया स0 1 को जरिये दानपत्र उसके नाम करवा दी। मुताबिक पारिवारिक समझौता प्रतिवादीया स0 1 उपरोक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो हक हिस्सा है अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया स0 2 भी जो की वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है। अपना जो हक हिस्सा है वादी के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि पर वादी काबिज है जिसकी घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी

वादीगण ने प्रतिवादीया स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को स्वीकार कर लेवे प्रतिवादीया स0 1 कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर [illegible] जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 3 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी स0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। है। पूर्व में उक्त वाद भूमि वादी के पिता रोहिताश पुत्र सुखराम के नाम दर्ज थी वादी के पिता ने उपरोक्त वाद भूमि अपनी पुत्री प्रतिवादीया स0 1 को जरिये दानपत्र उसके नाम करवा दी। मुताबिक पारिवारिक समझौता प्रतिवादीया स0 1 उपरोक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो हक हिस्सा है अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया स0 2 भी जो की वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है। वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 2 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 7/7 की कुल 3.0860 हैक्ट भूमि में से 1289/7715 हिस्सा व खाता स0 82/77 की कुल 8.34920 हैक्ट भूमि मे से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा गीता के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 तथा 2 उक्त वाद भूमि में अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 2 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 7/7 की कुल 3.0860 हैक्ट भूमि में से 1289/7715 हिस्सा व खाता स0 82/77 की कुल 8.34920 हैक्ट भूमि मे से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/4/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:08 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या– 694/2022

1. संजय पुत्र रोहिताश जाति जाट निवासी 9 केएनएन तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. मंजू सहारण पुत्री रोहिताश जाति जाट निवासी 9 केएनएन तहसील नोहर।
2. अंजु पुत्री रोहिताश जाति जाट निवासी 9 केएनएन तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 694 सन 2022

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री मनीराम सरावग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 7/7 की कुल 3.0860 हैक्ट भूमि में से 1289/7715 हिस्सा व खाता स0 82/77 की कुल 8.34920 हैक्ट भूमि मे से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/4/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:08 IST
Reason: SelfAttested